CSB Bank
Formerly The Catholic Syrian Bank Ltd.

सीएसबी बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः थ्रिसुर
आंचलिक कार्यालयः प्रथम और द्वितीय तल, सनातन धर्म वर्ल्ड यूनीवर्सटी ट्रस्ट, 20,
साउथ पटेल नगर, मेट्रो पिलर नं. 193 के सामने, नई दिल्ली–110008
ई–मेलः northernzone@csb.co.in

परिशिष्ट IV
[देखें नियम 8(1)]

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, **सीएसबी बैंक लिमिटेड** के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 [अधिनियम, 2002 (2002 का 54)] के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 [नियम 3] के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग सूचना दिनांकित **01.02.2022** जारी की थी जिसमें कर्जदारों **श्री सदासिवन पुत्र पद्मनाभ पिल्लई, निवास पताः एच.नं. 886, भूतल, सेक्टर–21–डी, फरीदाबाद, हरियाणा–121012 और श्रीमती सुभद्रा पत्नी श्री सदासिवन, निवास पताः एच.नं. 886, भूतल, सेक्टर–21–डी, फरीदाबाद, हरियाणा–121012** से सूचना में उल्लिखित राशि दिनांक **31.01.2022 को रु. 7,90,225.49 (रुपये सात लाख नब्बे हजार दो सौ पच्चीस और उनचास पैसा मात्र)** को **01.02.2022** से प्रभावी मासिक शेषों सहित बकाया देयों के पूर्ण भुगतान की तारीख तक **11.25% वार्षिक** की दर से भविष्य की ब्याज प्लस लागू पीनल ब्याज और अन्य लागातों एवं व्ययों, यदि हों, को उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा गया।

कर्जदार और जमानती द्वारा पूरी राशि अदा न कर पाने पर एतद्द्वारा कर्जदार और जमानती तथा जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **09 सितंबर, 2022** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और जमानती तथा सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन दिनांक **31.01.2022 को रु. 7,90,225.49 (रुपये सात लाख नब्बे हजार दो सौ पच्चीस और उनचास पैसा मात्र)** को **01.02.2022** से प्रभावी मासिक शेषों सहित बकाया देयों के पूर्ण भुगतान की तारीख तक **11.25% वार्षिक** की दर से भविष्य की ब्याज प्लस लागू पीनल ब्याज और अन्य लागातों एवं व्ययों, यदि हों, के लिए **सीएसबी बैंक लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

[प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।]

अचल संपत्ति का विवरण

श्री सदासिवन और श्रीमती सुभद्रा के नाम में सेक्टर– 21–डी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, फरीदाबाद, हरियाणा स्थित आवासीय माकन नं. 886/एलआईजी, भूतल, एरिया माप 28.82 वर्ग मीटर जो कि कार्यालय उप–पंजीयक, फरीदाबाद में बिक्री विलेख दस्तावेज नं. 392 दिनांकित 10.04.2012 द्वारा विधिवत् पंजीकृत है, के सभी भागों एवं खंडों के हक विलेखों के जमा द्वारा बंधन और सीमाएँ निम्नवत् हैंः–

उत्तरः मकान नं. 887/जीएफ,
दक्षिणः मकान नं. 885/जीएफ,
पूर्वः खुली जगह
पश्चिमः रोड

हस्ता./–
दिनांकः 09.09.2022 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः फरीदाबाद (सीएसबी बैंक लिमिटेड)

Jaswant Sugar Mills Ltd.

CIN: U15249UP1943PLC002094
Regd. Office: Baghpat Road, Kothi No. 4,
Jaswant Sugar Mill Compound,
Meerut (U.P.) 250002

Public Notice

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Company shall be held at the Registered Office of the Company at 12:00 hour on 30th September 2022.

For Jaswant Sugar Mills Ltd.
Authorised Sign./Director

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **साधना नरेंद्र कुमार और राज रानी नरेंद्र कुमार** को **31.05.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLDCP00460928** की राशि **रू. 14,04,204.15 (रूपये चौदह लाख चार हजार दो सौ चार और पंद्रह पैसे मात्र)** और **29.05.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **08.09.2022** को संपत्ति पर **आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 14,04,204.15 (रूपये चौदह लाख चार हजार दो सौ चार और पंद्रह पैसे मात्र) 29.05.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

नीचे की भूमि के फ्रीहोल्ड अधिकार के साथ सभी फिटिंग और फिक्स्चर्स के साथ, रोहिणी आवासीय योजना के नाम से पहचाने जानेवाली आवासीय योजना में स्थित सेक्टर-22, पॉकेट-11 में प्रॉपर्टी बियरिंग प्लॉट नं -53 पर निर्मित तल मंजिल क्षेत्र माप 25.90 चौ. मीटर्स, नई दिल्ली- 110086 और जो निम्नानुसार परिबद्ध है:

पूर्व : एस/गली पश्चिम : प्रवेश
उत्तर : प्लॉट नं. 52 दक्षिण : प्लॉट नं. 54

सही/-
दिनांक : 08.09.2022 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **राजेश कुमार और पिंकी ठाकुर** को **26.11.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HLAPNOD00346471** की राशि **रू. 19,01,016.62 (रूपये उन्नीस लाख एक हजार सोलह और बासठ पैसे मात्र)** और **22.11.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **08.09.2022** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 19,01,016.62 (रूपये उन्नीस लाख एक हजार सोलह और बासठ पैसे मात्र) 22.11.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

झिलमिल कॉलोनी में हाउसिंग एस्टेट के लेआउट प्लान में स्थित ब्लॉक नंबर ए में तल मंजिल पर सभी फ्लैट बियरिंग नंबर 38 मापित क्षेत्र 57.50 चौ. यार्डस या 48.09 चौ. मीटर, दिल्ली -110095 और निम्नानुसार परिबध्द है -

पूर्व : 20'-0" चौड़ी सर्विस लेन पश्चिम : सामने 22'-0" चौड़ी सड़क
उत्तर : प्लॉट नं. ए -39 दक्षिण : प्लॉट नं. ए -37

सही/-
दिनांक : 08.09.2022 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : दिल्ली **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज

Corporate Identity Number (CIN): U74899DL1951NPLC001947
पंजीकृत कार्यालयः पीएचडी हाउस 4/2 सिरी इंस्टीट्यूशन एरिया अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली-110016
दूरभाष सं.:91-11-49545454, वेबसाइट: www.phdcci.in, ई-मेल: mohit.luthra@phdcci.in

वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग की जानकारी

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों तथा उसके अधीन गठित नियमों के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी (सामूहिक रूप से "एमसीए सर्कुलर" कहा गया है) साधारण सर्कुलर नं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 19/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 तथा 2/2022 दिनांक 05 मई, 2022 के अनुपालन के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के जरिए इस एजीएम आह्वान की सूचना ("एजीएम सूचना") में संलग्न व्यवसायिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ("चेम्बर") के सदस्यों की 117वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को सायं 05.30 बजे (भामास) आयोजित की जाएगी।

चेम्बर ने रिमोट ई-वोटिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई-वोटिंग") प्रणाली की सेवा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड ("सीडीएसएल") की सेवा नियुक्त की है। सदस्यगण रिमोट ई-वोटिंग के प्रत्यय पत्र के प्रयोग द्वारा www.evotingindia.com के अधीन shareholders/members पर लॉगइन कर संबंधित प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं।

2. एमसीए सर्कुलरों के अनुपालन के अनुसार एजीएम की सूचना उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भेजे जाएंगे जिनके ई-मेल आईडी चेम्बर के साथ पंजीकृत हैं।

3. एजीएम की सूचना चेम्बर की वेबसाइट www.phdcci.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा, सदस्यगण सिर्फ वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल तथा भागीदारी कर सकते हैं। एजीएम में शामिल होने की निर्देशावलियां तथा भागीदारी करने का प्रारूप सूचना में उल्लेखित है। अधिनियम की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी।

4. **ईमेल का पता के पंजीकरण/अद्यतन करने का प्रारूपः**
जिन सदस्यों ने चेम्बर के साथ अपने ईमेल का पंजीकरण/अद्यतन नहीं कराया है उनसे श्री सौरभ सन्याल, महासचिव, चेम्बर के पास sg@phdcci.in पर; श्री मोहित लुथरा, सहायक महासचिव, चेम्बर के पास mohit.luthra@phdcci.in तथा managingcommittee@phdcci.in क्रमशः पर ईमेल भेज कर अपने ईमेल का पता तथा मोबाइल नम्बरों का पंजीकरण कराने का अनुरोध किया जाता है।

पीएचडीसीसीआई के प्रबंध कमिटी के **आदेशानुसार**
कृते पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री
हस्ता/-
स्थान : दिल्ली (सौरभ सन्याल)
दिनांक : 13 सितम्बर, 2022 महासचिव

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **एल प्रेमी देवी C/o. चेरी क्लोथिंग, लैशराम बीना देवी और अब्दुल कादिर शाह (गेरेंटर)** को **08.12.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLNOD00421838** की राशि **रू. 26,47,577.56 (रूपये छब्बीस लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ सतहत्तर और छप्पन पैसे मात्र)** और **27.11.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती कीतारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **08.09.2022** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 26,47,577.56 (रूपये छब्बीस लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ सतहत्तर और छप्पन पैसे मात्र) 27.11.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

परगना लोनी, गाँव ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-II, आवासीय कॉलोनी में स्थित फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नं.बी-1/60 पर निर्मित, एम.आई.जी. (छत के अधिकार के बिना), सामने दाहिने हाथ की ओर,आवासीय फ्लैट नं. यूजीएफ 1 (ऊपरी तल मंजिल), जिसका सुपर और कवर्ड क्षेत्र 600 चौरस फीट यानि 55.74 चौरस मीटर, तहसील और जिला गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद-201010, उत्तर प्रदेश।

सही/-
दिनांक : 08.09.2022 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : गाज़ियाबाद **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

CSB Bank
Formerly The Catholic Syrian Bank Ltd.

सीएसबी बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः थ्रिसुर
आंचलिक कार्यालयः प्रथम और द्वितीय तल, सनातन धर्म वर्ल्ड यूनीवर्सटी ट्रस्ट, 20,
साउथ पटेल नगर, मेट्रो पिलर नं. 193 के सामने, नई दिल्ली–110008
ई–मेलः northernzone@csb.co.in

परिशिष्ट IV
[देखें नियम 8(1)]

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, **सीएसबी बैंक लिमिटेड** के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 [अधिनियम, 2002 (2002 का 54)] के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 [नियम 3] के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग सूचना दिनांकित **01.02.2022** जारी की थी जिसमें कर्जदारों **मेसर्स सौरभ एंटरप्राईजेज (प्रॉप. फर्म), अपने प्रॉप. सदासिवन के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालयः एफ–537, एसजीएम नगर बधकल रोड, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा–121001 और श्री सदासिवन पुत्र पद्मनाभ पिल्लई, निवास पताः एच.नं. 886, भूतल, सेक्टर–21–डी, फरीदाबाद, हरियाणा–121012 और जमानती – श्रीमती सुभद्रा पत्नी श्री सदासिवन, निवास पताः एच.नं. 886, भूतल, सेक्टर–21–डी, फरीदाबाद, हरियाणा–121012** से सूचना में उल्लिखित राशि दिनांक **31.01.2022 को रु. 5,99,379.98 (रुपये पाँच लाख निन्यानवे हजार तीन सौ उनहासी और अठानवे पैसा मात्र)** को **01.02.2022** से प्रभावी मासिक शेषों सहित बकाया देयों के पूर्ण भुगतान की तारीख तक **11.66% वार्षिक** की दर से भविष्य की ब्याज प्लस लागू पीनल ब्याज और अन्य लागातों एवं व्ययों, यदि हों, को उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा गया।

कर्जदार और जमानती द्वारा पूरी राशि अदा न कर पाने पर एतद्द्वारा कर्जदार और जमानती तथा जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **09 सितंबर, 2022** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और जमानती तथा सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन दिनांक **31.01.2022 को रु. 5,99,379.98 (रुपये पाँच लाख निन्यानवे हजार तीन सौ उनहासी और अठानवे पैसा मात्र)** को **01.02.2022** से प्रभावी मासिक शेषों सहित बकाया देयों के पूर्ण भुगतान की तारीख तक **11.66% वार्षिक** की दर से भविष्य की ब्याज प्लस लागू पीनल ब्याज और अन्य लागातों एवं व्ययों, यदि हों, के लिए **सीएसबी बैंक लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

[प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।]

अचल संपत्ति का विवरण

श्री सदासिवन और श्रीमती सुभद्रा के नाम में सेक्टर– 21–डी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, फरीदाबाद, हरियाणा स्थित आवासीय माकन नं. 886/एलआईजी, भूतल, एरिया माप 28.82 वर्ग मीटर जो कि कार्यालय उप–पंजीयक, फरीदाबाद में बिक्री विलेख दस्तावेज नं. 392 दिनांकित 10.04.2012 द्वारा विधिवत् पंजीकृत है, के सभी भागों एवं खंडों के हक विलेखों के जमा द्वारा बंधन और सीमाएँ निम्नवत् हैंः–

उत्तरः मकान नं. 887/जीएफ,
दक्षिणः मकान नं. 885/जीएफ,
पूर्वः खुली जगह
पश्चिमः रोड

हस्ता./–
दिनांकः 09.09.2022 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः फरीदाबाद (सीएसबी बैंक लिमिटेड)

श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड

मुख्य कार्यालय :लेवल 3, वोखार्ट टॉवर्स, ईस्ट विंग, सी–2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई 400 051, **दूरभाष** : 022 4241 0400, 022 4060 3100 **वेबसाइट** : **http://www.shriramcity.in,**
पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 123, अंगप्पा नैकेन स्ट्रीट, चेन्नई–600 001; **शाखा कार्यालय** :245–246, ओम करन टॉवर, हनुमान नगर–डी, अमरपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर–302021

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] **अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत अचल सम्पत्तियों की विक्रय हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/रों एवं जमानती/यों को सूचना दी जाती है कि द श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा द श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री तालिका में वर्णित के अनुसार कर्जदारों एवं जमानतियों से द श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के बकायों की वसूली के लिए ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर ई–नीलामी के माध्यम से 18 अक्टूबर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. के बीच की जायेगी। कर्जदारों तथा जमानतियों के विवरण, बकाया राशि, अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण तथा उस पर ज्ञात ऋणभार, आरक्षित मूल्य एवं जमा धरोहर राशि तथा वृद्धि भी निम्नवत दी गयी है :

कर्जदारों/सहकर्जदारों/ जमानतियों/बंधककर्ताओ के नाम	13(2) माँग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) एवं संविदा वृद्धि	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय	सम्पर्क व्यक्ति तथा निरीक्षण की तिथि
ऋण अनुबंध संख्या JAPR1TF1509260001 JAPR1TF1605310001 1. मैसर्स बलराज बिल्डर्स (प्रोपराइटर देवेंद्र सिंह), 2. श्री देवेंद्र सिंह पुत्र जोरमल सिंह, 3. श्री रवि कुमार पुत्र जोरमल सिंह सभी का पताः 3/124, नेब एक्सटेंशन, प्रीत विहार, टीपी नगर के पास, अलवर राज.-301001 एनपीए दिनांक– 03–जनवरी–2017 कब्जे की तिथि तथा कब्जे का प्रकार 13–अगस्त–2022 भौतिक कब्जा	मांग सूचना की तिथि : 17.05.2021 रु. 47,80,364/– (रुपये सैंतालीस लाख अस्सी हजार तीन सौ चौंसठ मात्र) तिथि 17 अप्रैल, 2017 तक तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार भावी ब्याज तथा प्रभार ज्ञात ऋणभार ज्ञात नहीं	प्लॉट नंबर 1/518–बी, नेब एक्सटेंशन, हाउसिंग बोर्ड, अलवर राजस्थान पर स्थित भूमि/फ्लैट का समस्त भाग, माप 57.00 वर्ग मीटर। सीमा विवरण– पूर्वः–सड़क, पश्चिमः– मकान नं. 1/517, 1/518, उत्तरः– अन्य भूमि दक्षिणः– मकान नं. 1/518 ए	रु. 28,82,604/– (रुपये अट्ठाईस लाख बयासी हजार छः सौ चार मात्र) संविदा वृद्धि रु. 30,000/– (रुपये तीस हजार मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.) रु. 2,88,260/– (रुपये दो लाख अट्ठासी हजार दो सौ साठ मात्र) ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि : 17 अक्टूबर, 2022 समय : 10.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप.	यहां नीचे उल्लिखित खाता विवरणों में आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से जमा की जाने वाली ईएमडी राशि बैंक का नाम : एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा डॉ. राधाकृष्णन सलाई मायलापोर, चेन्नई–600004 बैंक खाता नं. चालू खाता सं. 006010200067449 आईएफएससी कोड UTIB0000006	18 अक्टूबर, 2022 समय : 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.	सम्पत्ति निस्तारण सं. 022–40081572 श्री राजेश कुमार चौधरी 9460117810 श्री मुकेश सिंह मो. 7410890890 सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि 14 अक्टूबर, 2022 समय : 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप.

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट में प्रावधानित लिंक http://www.shriramcity.in/borrower देखें।

स्थान : अलवर ह./– अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : 13.09.2022 श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड

सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड
Cent Bank Home Finance Limited
Branch : Delhi Corporate Office : Mumbai
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अनुषंगी Subsidiary of Central Bank of India

शाखा कार्यालय :
3ई/10, मेजेनाइन तल, नव दुर्गा भवन,
झंडेवालान एक्सटेन्शन, नई दिल्ली-110055
फोन : 011-35000439
(सीआइएन नं. U65922MP1991PLC006427)

शुद्धिपत्र

दिनांक 10.09.2022 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सह निलामी / बिक्री सूचना के संदर्भ में :
टेबल में क्रमांक 7वें कॉलम में क्रम सं. 1 से 5 तक निलामी की तिथि 20.09.2022 की जगह 28.09.2022 पढ़ें। अन्य नियम व शर्तों में कोई बदलाव नहीं है।

भारतीय स्टेट बैंक

कब्जा सम्बन्धी नोटिस
चल/अचल सम्पत्ति हेतु नियम 8(1)

सिक्योरिटिजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002, (2002 का एक्ट नं0 54) तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गए खातें में उसके नाम के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया है। **''उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।''** ऋणी को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन **भारतीय स्टेट बैंक, मार्किट यार्ड शाखा हापुड़** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता के नाम	बंधक अचल सम्पत्ति/यों का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जे की तारीख	बकाया राशि
1.	**शाखाः मार्किट यार्ड, हापुड़** **ऋणीः** मैसर्स राज बीज भंडार, प्रो0 श्री रामकृपाल सिंह, पताः 52, किशन बाजार, गढ़ रोड, हापुड़ (उ0प्र0) एवं श्री रामकृपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह, निवासीः 2-1/563, देवलोक कॉलोनी, हापुड़ (उ0प्र0) एवं **गारन्टरः** श्री सर्वचन सिंह पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह, निवासीः 2-1/563, देवलोक कॉलोनी, हापुड़ (उ0प्र0)	बंधक आवासीय मकान डबल स्टोरी के सभी भाग व भूखंड, नगरपालिका नं0 2-1/563, खसरा नं0 11/1मि एवं प्लॉट नं0 4 पर निर्मित स्थित मौहल्ला- देवलोक कॉलोनी, तहसील एवं जिला- हापुड़ (उ0प्र0), माप क्षेत्रफल 104.54 वर्ग गज, अर्थात् 86.60 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी सर्वचन सिंह पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह। सीमाएँः- पूर्वः 52 फीट 6 इंच/ लोक चन्द्र भटनागर का मकान, पश्चिमः 52 फीट 6 इंच/ एस0के0 शर्मा का मकान, उत्तरः 17 फीट 9 इंच/ रास्ता, दक्षिणः 17 फीट 9 इंच/ रास्ता।	14.06.2022	08.09.2022	रु0 3,56,119/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 15.06.2022 से

दिनांक–12.09.2022 स्थान – हापुड़ प्राधिकृत अधिकारी

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
(एक अनुसूचित व्यावसायिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय : द फेयरवे, भूतल और प्रथम तल, सर्वे सं. 10/1, 11/2 और 12/28, ऑफ डेमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड़, ईजीएल बिजनेस पार्क के पास, चलाघण्टा, बेंगलोर–560071. शाखा कार्यालय : 16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्या समाज रोड़, करोल भाग, दिल्ली–110005

ई–नीलामी सूचना

वित्तीय परिसंपत्तिया के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफैसी अधिनियम) 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के साथ पठित परंतुक के तहत ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

अधोहस्ताक्षरी ने **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और बड़े पैमाने पर जनता को सार्वजनिक सूचित कर रहे है कि बैंक ने बकाए की वसूली के लिए निम्न उल्लेखित खातों में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई–नीलामी) यहां निर्धारित दिनांक को **''जो है जैसी है आधार'' और ''जो है जहां है आधार''** पर आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	वास्तविक उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	13–2 सूचना की दिनांक	कब्जे की दिनांक	दिनांक 09.09.2022 को वर्तमान बाकाया शेष	संपत्ति निरीक्षण की दिनांक और समय	आरक्षित मूल्य रुपये में	अग्रीम राशि जमा (ईएमडी) रुपये में	ई–नीलामी की दिनांक और समय	बोली जमा करने की अंतिम दिनांक, समय और स्थान
1	30358850000021	1) श्री बच्चू सिंह, 2) श्रीमती पटरी	18.05.2019	03.06.2022	रुपये 6,63,372/– (रुपये छह लाख तिरेसठ हजार तीन सौ बहत्तर मात्र)	28.09.2022 पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 05.30 बजे	रुपये 7,46,065/– (रुपये सात लाख छियालीस हजार पैसठ मात्र)	रुपये 74,607/– (रुपये चौहत्तर हजार छह सौ सात मात्र)	18.10.2022 पूर्वाह्न 11:00 बजे	17.10.2022 अपराह्न 05:30 से पहले। जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। शाखा कार्यालय पता : 16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्या समाज रोड़, करोल बाग, दिल्ली–110005
	संपत्ति विवरण/अनुसूची : ख़सरा सं. 430, मौजा धानोली, तहसील और जिला आगरा, मापक 125.41 वर्ग मीटर **पूर्व :** अन्य की संपत्ति, **पश्चिम :** अन्य की संपत्ति, **उत्तर :** घुरे की संपत्ति, **दक्षिण :** 45 फुट चौड़ा रास्ता									
2	30908950000883	1) मैसर्स गोपाल चंद्र सरकार अपने मालिक द्वारा प्रतिनिधित्व श्री गोपाल चंद्र सरकार, 2) श्री. गोपाल चंद्र सरकार (उधारकर्ता), 3. श्रीमती सुशमा सरकार (गारंटर)	28.04.2021	30.04.2022	रुपये 13,97,208/– (रुपये तेरहा लाख सित्तानबे हजार दौ सौ आठ मात्र)	04.10.2022 पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 05.30 बजे	रुपये 15,31,950/– (रुपये पंद्रहा लाख इक्तीस हजार नौ पचास मात्र)	रुपये 1,53,195/– (रुपये एक लाख तिरेपन हजार एक सौ पचानबे मात्र)	18.10.2022 पूर्वाह्न 11:00 बजे	17.10.2022 अपराह्न 05:30 से पहले। जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। शाखा कार्यालय पता : 16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्या समाज रोड़, करोल बाग, दिल्ली–110005
	संपत्ति विवरण/अनुसूची : संपत्ति धारक सं. आरजेड़–111–डी, गली सं. 14, मापक 50 वर्ग गज, निहित खसरा सं. 520 में, स्थित तुगलकाबाद एक्सटेंशन पर, नई दिल्ली–110019, **श्रीमती सुशमा सरकार पत्नी श्री गोपाल चंद्र सरकार द्वारा** स्वामीत्व									
3	30418640000186	1) मैसर्स विश्वकर्मा कास्टिंग अपने मालिक द्वारा प्रतिनिधित्व श्री पारस शुकला 2) श्री पारस शुकला (उधारकर्ता), 3) श्रीमती चंद्रावती (गारंटर) 4) श्री सुभम शुकला (गारंटर)	11.06.2019	25.05.2022	रुपये 33,55,053/– (रुपये तैंतीस लाख पचपान हजार तिरेपन मात्र)	06.10.2022 पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 05.30 बजे	रुपये 25,15,500/– (रुपये चौबीस लाख पंद्रहा हजार पांच सौ मात्र)	रुपये 2,41,550/– (रुपये दौ लाख इत्तालीस हजार पांच सौ पचास मात्र)	18.10.2022 पूर्वाह्न 11:00 बजे	17.10.2022 अपराह्न 05:30 से पहले। जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। शाखा कार्यालय पता : 16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्या समाज रोड़, करोल बाग, दिल्ली–110005
	संपत्ति विवरण/अनुसूची : प्लॉट सं. 49, खसरा मुस्तातील सं. 31, किला सं. 21/2/2, मुस्तातील सं. 33, किला सं. 1/2, 1/4, 1/3, 1/1, वाका सिवाना, मौजा बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा									
4	30218850001931	1) मैसर्स सतीश फ्लावर अपने मालिक द्वारा प्रतिनिधित्व श्री सतीश महातो 2) श्री सतीश महातो, 3) श्रीमती साधना गुमारी महातो (गारंटर) मालिक	31.07.2019	12.11.2021	रुपये 16,96,538/– (रुपये सोलह लाख छियानबे हजार पांच सौ अड़तीस मात्र)	20.09.2022 पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 05.30 बजे	रुपये 8,81,000/– (रुपये आठ लाख इक्यासी हजार मात्र)	रुपये 88,100/– (रुपये अड्डासी हजार एक सौ मात्र)	29.09.2022 पूर्वाह्न 11:00 बजे	27.09.2022 अपराह्न 05:30 से पहले। जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। शाखा कार्यालय पता : 16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्या समाज रोड़, करोल बाग, दिल्ली–110005
	संपत्ति विवरण/अनुसूची : ऊपरी भूतल (पिछे का भाग), फ्लैट सं. बी–1, मापक 40 वर्ग गज लगभग, संपत्ति धारक सं. 96, भूमि मापक 115 वर्ग गज के प्लॉट पर निर्मित, ग्राम छत्तरपुर, तहसील–हौज खास (मेहरोली), नई दिल्ली									

संपत्तियों को **''जो है जहां है आधार'' और ''जो है जैसी है आधार''** पर और ई–नीलामी **'ऑन लाइन'** आयोजित किया जा रहा है। यह नीलामी बैंक की अनुमोदित सेवा प्रदाता **मेसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (नीलामी टाइगर)** के माध्यम से वेब पोर्टल **https://janabank.auctiontiger.net** पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए और विवरण, मदद, प्रक्रिया और ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता **मेसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं; संपर्क नंबर : 09722778828/079–681368540/51, 55, 56 ई–मेल आईडी : praveen.thevar@auctiontiger.net**
ई–नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारियों श्री राकेश शर्मा (मोबाइल नंबर 7230070463)** से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी के ज्ञान और जानकारी के लिए, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। कोई सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। यह बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई–नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं को भी सूचनाहै। उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को एतद् द्वारा नीलामी की दिनांक से पहले अप्राप्त ब्याज और सहायक व्यय के साथ उपर्युक्त राशि का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न होने पर संपत्ति बेची जाएगी और बकाया राशि को शेष कर दिया जाएगा, ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा, यदि कोई हो।

दिनांक : 13.09.2022, स्थान : दिल्ली एनसीआर हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, प्रति. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

IndusInd Bank

पीएनए हाउस, प्रथम तल, प्लॉट नं. 57 तथा 57/1, गली नं. 17, निकट ईएसआईसी कार्यालय, एमआईडीसी, अंधेरी (पू.) मुम्बई-400093

सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के तहत
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना की वैकल्पिक सेवा

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि चूंकि निम्नलिखित कर्जदारों ने इंडसइंड बैंक लिमिटेड (आईबीएल) से ग्रहण किये गये ऋण सुविधाओं के ब्याज के भुगतान में चूक की है अतः उनकी ऋण साख सुविधाएँ इससे संबंधित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक की बहियों में नॉन-पर्फामिंग आस्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दी गयी हैं। बैंक ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित संबंधित कर्जदार को कथित कर्जदारों के अन्तिम ज्ञात पते पर मांग सूचना जारी की थी जिसमें कथित मांग सूचनाओं में उल्लिखित निम्नलिखित राशि पर अनुबंध दर पर भावी ब्याज एवं आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि सहित नीचे दिये गये विवरण के लिए संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचना/ओं में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। हालांकि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफैसी नियम) के नियम 3 के अनुसार इस प्रकाशन के माध्यम से भी सर्विस सम्पन्न की जा रही है।

कर्जदार तथा सह-कर्जदार/रों का नाम तथा पता	ऋण खाता संख्या	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	निम्नलिखित तिथि तक कुल बकाया देय (रु.)*	प्रतिभूत आस्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरण
1. मैसर्स आई एन मेहरा इंडस्ट्रीज- इसके प्रोपराइटर श्री नकुल मेहरा (उधारकर्ता) के माध्यम से, 2. श्री. नकुल मेहरा, 3. श्री. अखिल मेहरा 4. सुश्री नूतन मेहरा (सह-उधारकर्ता) सी-22/23, दूसरी मंजिल, खसरा नंबर 61/15, नरेश पार्क एक्सटेंशन, नांगलोई, पश्चिमी दिल्ली-110041 इसके अलावाः 318, दूसरी मंजिल, कोहाट एन्क्लेव, पीतमपुरा-110034, इसके अलावाः 156-बी, ब्लॉक- क्यू, इनकम टैक्स कॉलोनी के पास, पीतमपुरा, दिल्ली- 110034	DBC02360N, 700000012170 तथा DBC01157N	31.01.2021	27.08.2022	20.08.2022 तक रु. 2,81,89,191.99/- (रुपये दो करोड़ इक्यासी लाख नवासी हजार एक सौ इक्यानबे एवं निन्यानबे पैसे मात्र)	मकान संख्या 318, छत के अधिकारों के साथ दूसरी मंजिल का समस्त भाग, माप 270.83 वर्ग गज, कोहाट को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, कोहाट एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034 के लेआउट प्लान में स्थित सीमाएंः- पूर्वः संपत्ति संख्या 319, पश्चिमः 60 फीट चौड़ी सड़क उत्तरः 45 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः सर्विस लेन
1. श्री अमरेंदर झा (उधारकर्ता) 2. सुश्री बिभा झा (सह-उधारकर्ता) गली नंबर 2, गोहाना रोड, बाय पास, शास्त्री कॉलोनी, सोनीपत, हरियाणा- 131001 इसके अलावाः खतौनी नं. 742-743, वाका पट्टी, जट्टान आबादी, शास्त्री कॉलोनी, सोनीपत, हरियाणा- 131001 साथ हीः मकान नंबर 1648, गली नंबर 3, गोहाना रोड, शास्त्री कॉलोनी, सोनीपत, हरियाणा- 131001	HDT00053N तथा HDT00119N 6	05.06.2022	27.08.2022	20.08.2022 तक रु. 12,13,676.63/- (रुपये बारह लाख तेरह हजार छः सौ छिहत्तर एवं तिरेसठ पैसे मात्र)	सम्पत्ति माप 71 वर्ग गज का समस्त भाग, खेवत नंबर 526//482, 527//483, खतौनी नंबर 742, 743, खसरा नंबर 660 (2-19), 672 (5-3), 673 (2-19)। 671 (3-6), पट्टी जट्टान, शास्त्री नगर के राजस्व एस्टेट में स्थित, एमसी सीमा के भीतर, सोनीपत, हरियाणा- 131001, सीमाएंः पूर्वः स्ट्रीट पश्चिमः सुदेश का घर, उत्तरः अनीता का घर, दक्षिणः रवींद्र का प्लॉट
1. मैसर्स टायर जोन- इसके प्रोपराइटर- श्री राम कुमार चौधरी - (उधारकर्ता) मृतक होने से - इसके कानूनी वारिस के माध्यम से 2. श्री राम कुमार चौधरी- मृतक होने से इसके कानूनी वारिसों के माध्यम से, 3. श्री रामबीर सिंह, 4. श्रीमती पूरन देवी (सह-उधारकर्ता), 5. सुश्री अनीता सिंह- स्वर्गीय श्री राम कुमार चौधरी के कानूनी वारिस, ए-5, प्रह्लाद नगर, अदुरिकी.मथुरा, उत्तर प्रदेश-281006, इसके अलावाः प्लॉट नंबर 17, प्रह्लाद नगर, खसरा नंबर 86, मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281006।	DAA00226N तथा DAM00070N	09.05.2022	31.08.2022	17.06.2022 तक रु. 2,32,93,529.30/- (रुपये दो करोड़ बत्तीस लाख तिरानबे हजार पांच सौ उनतीस एवं तीस पैसे मात्र)	संपत्ति संख्या 1ः - एक प्लॉट नंबर ए -5 का माप 334.44 वर्ग मीटर का समस्त भाग, मौजा बिरजापुर में स्थित, खसरा संख्या 87, 88 और 89, तहसील और जिला, मथुरा में प्रह्लाद नगर कॉलोनी के तहत, उत्तर प्रदेश-281001, सीमाएंः पूर्वः प्लॉट नंबर ए -6, पश्चिमः प्लॉट नंबर ए -4, उत्तरः रास्ता कॉलोनी दक्षिणः प्लॉट नंबर बी -6 और बी -7। संपत्ति संख्या 2ः- प्लॉट नंबर 17 माप 55.73 वर्ग मीटर का समस्त भाग, मौजा बिरजापुर में स्थित, प्रहलाद नगर कॉलोनी के अंतर्गत खसरा नंबर 86, तहसील और जिला, मथुरा, उत्तर प्रदेश -281001 में स्थित, सीमाएंः पूर्वः प्लॉट नंबर 17, पश्चिमः प्लॉट नंबर 18, उत्तरः रामवीर सिंह का घर, दक्षिणः रास्ता 18 फीट

हम यहां वर्णित उधारकर्ता से इस सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज और लागत, प्रभारों, व्ययों आदि सहित संबंधित निर्गत मांग सूचनाओं में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित बकाया राशि का हमें भुगतान करने के लिए कहते हैं जिसमें असफल रहने पर हमें कथित अधिनियम की धारा 13(4) और प्रयोज्य नियमों के तहत उपरोक्त प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता होगी जो कथित कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के उनकी निजी लागत तथा परिणामों के सम्पूर्ण जोखिम पर कब्जा लेने तक ही सीमित नहीं रहेगा।

कृपया ध्यान दें कि सरफैसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आप सभी को बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित करने से प्रतिबन्धित किया जाता है। आपके द्वारा कथित धारा का कोई उल्लंघन सरफैसी अधिनियम की धारा 29 तथा/अथवा इस सम्बन्ध में किसी अन्य विधिक प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही को आकर्षित करेगा।

कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के अनुसार यदि समस्त लागतों, प्रभारों तथा आईबीएल द्वारा किये गये व्ययों सहित आईबीएल की बकाया राशि बिक्री या हस्तान्तरण हेतु निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय अदा कर दी जाती है तो प्रतिभूत आस्ति की बिक्री या हस्तान्तरण आईबीएल द्वारा नहीं किया जायेगा और उस प्रतिभूत आस्ति के हस्तान्तरण या बिक्री के लिए आईबीएल द्वारा कोई भावी कदम नहीं उठाया जायेगा।

ह./–
तिथि : 13.09.2022 कृते इंडसइंड बैंक लिमिटेड
स्थान : दिल्ली/हरियाणा/मथुरा अधिकृत प्राधिकारी